

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 925547

17742

592

This Sheet of Stamp Verity No. 17742/11
has been used for issuing a copy to
of Document No. on an application
S/o D/o

अनुरोध मश्रा


क्रमांक 47148 दिनांक 13/11/2020
प्रयोजन लीमिट 7
नाम प्रदीप सिंह लखनपुर
पता

प्रदीप कुमार सिंह ल० न०.74
31-3-2021 कलेक्टर, लखनपुर



18/1/83

17742/U



107

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

T. 1


विशय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. पंरगना | : बिजनौर |
| 3. ग्राम | : देवामऊ |
| 4. सम्पत्ति का विवरण
(सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-30स व
30स |

पटन किया.....
परीक्षण किया.....

उप दिवस प्रथम
लखनऊ



उम
जना

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2000
211
A B L



B P S



1115

₹. 20000

बीस हजार रुपये

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

- | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|
| 5. | मापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.089 हेक्टेअर |
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : नहीं |
| 9. | बोरिंग/कुआ/अन्य | : नहीं |
| 10. | प्रतिफल की वारंदाति | : ₹ 9,35,354/- |
| 11. | मालियत | : ₹ 2,40,300/- |
| 12. | स्टाम्प | : ₹ 58,550/- |

मापन किया.....

प्रमाण किया.....

उप निदेश प्रथम
लखनऊ



आर.जी. कौशिक, लखनऊ 21.7.77

2000
APM

...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TPY 060205
नं. 100
दि. 10/10/2005

- 3 -

चौहद्दी

खसरा नं०-३०स

- पूरुब : खसरा संख्या-३२
पश्चिम : खसरा संख्या-२८
उत्तर : खसरा संख्या-३१
दक्षिण : खसरा संख्या-२९

खसरा नं०-३०स

- पूरुब : खसरा संख्या-३२
पश्चिम : खसरा संख्या-२८
उत्तर : खसरा संख्या-३१
दक्षिण : खसरा संख्या-२९


(Handwritten signature)

किया.....
या.....
उप निदेश प्रथम
तयसक

2421/
10000
JAL
h



सत्यमेव जयते



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
रामफल पुत्र श्री देवतादीन निवासी-नयापुरवा, मजरा-निजापुर मझिमवा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।		अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० मंगलपाल सिंह, वर्तमान पता -प्रथम तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

.....
.....

उप लिख्य प्रथम
लखनऊ

2121
W. H. L.
h



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 5 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख रामफल पुत्र श्री देवतादीन निवासी-नरापुरवा, मजरा-निजापुर गझिगवा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० गंगापाल सिंह, वर्तमान पता -प्रथम तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

प्राप्त किया.....

द्वारा किया.....


उप निमित्त प्रथम
लखनऊ

1000 2/21
1000 2/21

✓



उत्तर ११



भारतीय नैऋत्य INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOV 2011

- 6 -

यह कि विक्रेता षटवार्षिक खाता खतोनी क्रम संख्या-00025 फसली वर्ष 1414 से 1419 के कृषि भूमि खसरा संख्या-30स रकबा 0.0230 हेक्टेअर व खसरा संख्या-30स रकबा 0.1550 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.1780 का 1/2 भाग यानि रकबा 0.089 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम-देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है, उक्त भूमि को विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतोनी क्रम

Handwritten signature

पटन किया.....

पंजीयन किया.....

उप निम्नस्थ स्थान
लखनऊ

100 24719
A-672
U



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 7 -

संख्या-00025 के अनुसार उक्त कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुकी है।

विक्रेतागण की भूमि भूमि कृषि खास्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

विक्रेतागण की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेतागण को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेतागण को रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं

पठन किया.....


संरक्षण किया.....

उप निबन्ध प्रथम
लखनऊ

27/11
APR
v



1111





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

६२१११

- 8 -

अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेतागण ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेतागण द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

[Handwritten signature]

पढ़ा किया.....
 परीक्षा किया.....

या विभाग प्रमुख
 लखनऊ

उप. वि. वि. वि. वि. वि.
 वि. वि. वि. वि. वि.
 या विभाग प्रमुख
 लखनऊ

2-7-21
APRIL

h



उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब बजरूत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बावज मुबलिग रू0 8,35,354/- (रूपया आठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ चौबन मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल

पठन किया.....
परीक्षण किया.....
उप निमित्त प्रथम
लाइनर





से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त कृषि योग्य भूमि है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम देवामऊ, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारु कीमत 27,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.089 हेक्टेअर की मालियत रू० 2,40,300/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः निरामानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाफ शुल्क रू० 58,550/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

पढन किया.....

परिक्षण किया.....

मुख्य निदेश प्रथम
सखुसखु



यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों “विक्रेता” एवं “क्रेता” में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

विवरण भुगतान।

कुल विक्रय मूल्य रू0 8,35,354/- (रुपया आठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ चौब्वन मात्र) द्वारा चेक संख्या- 093639 दिनांकित 02.12.2011 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ, विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

पढ़न किया.....
परीक्षण किया.....

रूप निम्न प्रकार
लखनऊ



विक्रय पत्र

835.354.00/ 241,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000
फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियन

श्री रामफल
पुत्र श्री देवतादीन

T. I

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी नया पुरवा निजामपुर मझगवा लखनऊ

अस्थायी पना

न यह लेखपत्र इम कार्यालय में

दिनांक 2/12/2011

समय 4:58PM

वज निबन्धन हेतु पेश किया।

T. I

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/12/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद होने व समझने मजमून व प्राप्त धनगशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री रामफल

पुत्र श्री देवतादीन

पेशा कृषि

निवासी नया पुरवा निजामपुर मझगवा लखनऊ

T. I

श्री अन्सल प्रा0 ए0 इ0 लि0 द्वारा वीरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री गंगापाल सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

BRB

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वी0 आर0 शर्मा

पुत्र श्री ए0 आर0 शर्मा

पेशा व्यापार

BRB

निवासी मदव मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

व श्री श्रवण कुमार

पुत्र श्री छोटेलाल

पेशा व्यापार

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

ने की।

पन्थकतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/12/2011

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-11 पर चेक संख्या पेन से लिखे गये हैं।

दिनांक : 02.12.2011

लखनऊ

गवाहान:-

1. *B.R.*
B.R. Sharma
S/o - A.R. Sharma
Madan Mohan
Malviya Marg,
Lucknow

विक्रेता

2.

Shrawan Kumar
S/o Chaley Lal
Vill + P. - Hasan
Purkhenali
Lucknow

क्रेता

टाइपकर्ता:

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

यसविदाकर्ता:

Topping
(मानवेंद्र प्रताप सिंह)

एडवोकेट,

पठन किया.....
परिक्षण किया.....

डा. विनाय कश्यप
लखनऊ

विक्रेता

Registration No.: 17742

Year : 2,011


Book No. : 1

0101 रामफल

देवतादीन

नया पुरवा निजामपुर मझगवा लखनऊ


कृषि



DEVELOPMENT

BEVERLY HILL

[Handwritten signature]



क्रेता

Registration No. : 17742

Year : 2,011


Book No. : 1

0201 अन्सल प्रा0 ए0 इ0 लि0 द्वारा वीरेन्द्र प्रताप सिंह
गंगापाल सिंह
13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ
नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता- रामफल पुत्र श्री देवतादीन निवासी-नयापुरवा, मजरा-निजापुर
मझिगवां, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता- अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री बीरेन्द्र
प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गंगापाल सिंह, वर्तमान पता -प्रथम तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग,
13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



पठन किया.....

परीक्षण किया.....

रूप निरूपण प्रथम
लखनऊ

हस्ताक्षर किया


आज दिनांक 02/12/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 13508
पृष्ठ सं. 207 से 234 पर क्रमांक 17742
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
2/12/2011



पटन किया.....
परीक्षण किया.....
उप निबन्धक प्रथम
लखनऊ

16.1.20

छाया प्रति प्रमाणित

उप निबन्धक प्रथम
लखनऊ